28.11.22

पत्रावली आज वास्ते निर्णय पेश हुयी। वकील वादी उप० वाद पत्र वादी, पत्रावली पर मौजूद रिकार्ड, दस्तावेजात तथा रिपोर्ट भूमिधारी (तहसीलदार) नीज कागजात का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। बहस वकील वादी पर मनन किया गया। जिससे जाहिर आता है कि वादीगण ग्राम गणेश्वर स्थित हाल खसरा नं. 1, 2 व 3 के वर्तमान नक्शे में मौके अनुसार तरमीम की दुरुस्ती चाहते हैं। तहसीलदार (भूमिधारी) की तथ्यात्मक रिपोर्ट से स्पष्ट है कि भूप्रबन्ध विभाग ने दौराने सेटलमेन्ट सही जगह पर ही तरमीम कर नक्शा संधारित किया है। गत नक्शे व हाल नक्शे में भी कोई परिवर्तन भूमिधारी ने अपनी रिपोर्ट में नहीं कहा है एवं न ही वादीगण ने इस

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी

आशय का कथन किया है। खसरा नं. 2 व 3 की खातेदारी वादीगण के नाम दर्ज है तथा ख.नं. 1 राजकीय सिवाय चक भूमि है अतः प्रकरण विशुद्ध रूप से निजि खातेदारी भूमि का राजकीय भूमि से तबादला (Exchange) का है अतः वाद पत्र वादी बाबत नक्शा दुरस्ती तरमीम बाबत घोषणा धारा 88 राज. काश्तकारी अधिनियम पोषणीय नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद पत्र वादी अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। उक्त आदेश अनुसार पर्चा डिक्री मुर्तब हो। पत्रावली बाद फैसल कुमार व नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय खुले इजलास सुनाया गया।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)